# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा जिला कोरबा (छ0ग0)

**Official Website** - https://districts.ecourts.gov.in/korba

## –:: विज्ञापन ::–

क्रमांक– क / दो–06–08 / 2013 कोरबा, दिनांक 15 सितंबर, 2022

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 20.10.2022 संध्या 5.00 तक**

**स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से**

**(अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।)**

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छत्तीसगढ़) के अंतर्गत **"आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमैन एवं स्वीपर)"** के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के उम्मीद्वारों से निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

**रिक्त पदों का विवरण एवं आरक्षण निम्नानुसार है :–**

| क्र. | रिक्त पद का नाम | कुल रिक्त पद | आरक्षित पद | | | | | | | | | | | | अनारक्षित पद | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अनुसूचित जनजाति | | | | अनुसूचित जाति | | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | | | | |
| | | | मुक्त | महिला | दिव्यांग | भूतपूर्व सैनिक | मुक्त | महिला | दिव्यांग | भूतपूर्व सैनिक | मुक्त | महिला | दिव्यांग | भूतपूर्व सैनिक | मुक्त | महिला | दिव्यांग | भूतपूर्व सैनिक |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| 1. | आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर) | 9 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – |
| | **योग** | **9** | **3** | **–** | **–** | **–** | **1** | **–** | **–** | **–** | **2** | **–** | **–** | **–** | **3** | **–** | **–** | **–** |
| **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–** | | | **किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/स्कूल से कक्षा 5 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **वेतनमान :–** | | | **कलेक्टर कोरबा द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन** | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट :– 1. पदों एवं आरक्षित पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के निर्णयानुसार आरक्षण निर्धारित किया जावेगा।

**<u>अन्य शर्तें</u> :–**

1. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिये।
2. दिनांक 01.01.2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट पात्रता होगी :–
    1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष
    2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
    3. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष।

    परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।
4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा। साथ ही उन्हें उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को स्वप्रमाणित करना होगा।
5. आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।
6. अभ्यर्थी को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।
7. अभ्यर्थी की एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अयोग्य होगें। चयन/नियुक्ति पश्चात् अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थी किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।
9. अभ्यर्थी किसी नैतिक धृष्टता हेतु अपराधी न ठहराया गया हो या किसी न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अयोग्य न किया गया हो।
10. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।
11. **प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद "आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी" लिखा हो तथा लिफाफे के बांई ओर विज्ञापन क्रमांक तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छ.ग.)" को सम्बोधित होना चाहिए।**

    **टीप :– अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत ही ज्वाईनिंग दी जायेगी।**

**टीप :– यदि किसी अभ्यर्थी को कक्षा 5 वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 5 वीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।**

12. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।
13. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
14. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें अन्यथा आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
15. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला न्यायाधीश कोरबा का निर्णय अंतिम होगा।
16. प्राप्त आवेदन पत्रो का परीक्षण उपरान्त पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा कार्यालय की वेबसाईड www.ecourts.gov.in/korba पर अपलोड की जावेगी।
17. चयनित अभ्यर्थियों को कलेक्टर कोरबा द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जावेगा एवं उनकी नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।
18. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
19. प्रत्येक अभ्यर्थियों कों चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
20. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया/प्रतियोगी परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।
21. उक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान की जायेगी।
22. यह विज्ञापन "आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम, 1980" के अध्यधीन है।

    उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य होने पर ही अभ्यर्थी आवेदन करें।
23. **विज्ञापित पदों हेतु चयन प्रक्रिया अग्रलिखित अनुसार होगी :–**

    (i) विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात कक्षा 5 वीं में प्राप्त अंकों की प्रावीण्यता (मेरिट) पर आधारित होगी तथा इस संबंध में वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

    (ii) समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को अवसर प्रदान किया जावेगा।

    (iii) जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम प्रथम आयेगा, उसका चयन किया जावेगा।

विज्ञापित पदों हेतु कोई कौशल परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

टीपः– चयनित उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही ज्वाईनिंग दी जायेगी तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर छ0ग0 से किए जाने के बाद ही ज्वाईनिंग दी जायेगी।

24. चयनित किये गये उम्मीदवारों की वर्गवार सूची तैयार कर, कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।

25. विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर ही प्रतीक्षा सूची (वर्गवार) भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम 01 वर्ष के लिए वैध होगी।

26. संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट www.ecourts.gov.in/korba पर उपलब्ध है।

अध्यक्ष
भर्ती समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
कोरबा (छ0ग0)

15-9-2022